न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) सीतापुर जिला–सरगुजा (छ0ग0)

//ज्ञापन//

क्र0/368/वाचक–05/2025 सीतापुर, दिनांकः 15/10/2025

प्रति,

वन परिक्षेत्राधिकारी
सीतापुर

विषय :– जप्तशुदा वाहन महेन्द्रा सोल्ड ट्रेक्टर वाहन स्वामी को सुपुर्द करने के संबंध में।

–0–

उपरोक्त विषयांतर्गत कार्यालय वनपरिक्षेत्राधिकारी वनपरिक्षेत्र सीतापुर सरगुजा (छ0ग0) के ज्ञापन क्रमांक/सी./383 सीतापुर, दिनांक 02/05/2025 के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर लेख किया है कि दिनांक 19.04.2025 को वन विभाग सीतापुर के द्वारा महेन्द्रा सोल्ड ट्रेक्टर से नीलगिरी लोड कर अवैध परिवहन रकते पाये जाने पर जप्त किया गया तथा प्रकरण तैयार कर अग्रिम कार्यवाही हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। उक्त प्रकरण में वृक्ष कटाई के नियमों का उल्लंघन करते हुये पाये जाने पर भूमिस्वामी श्री श्रवण आ0 जगरनाथ जाति – गोड निवासी ग्राम – मंगारी तहसील – बतौली जिला – सरगुजा (छ0ग0) को छत्तीसगढ भू–राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2011 के अनुसार भू–राजस्व संहिता की धारा 253 की उपधारा (1) के तहत् 15,000/–(पंद्रह हजार रूपये मात्र) का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है।

भूमिस्वामी द्वारा उक्त अर्थदण्ड की राशि चालान के माध्यम से जमा करने के पश्चात जप्तशुदा वाहन महेन्द्रा सोल्ड ट्रेक्टर नीलगिरी लोड सहित वाहन स्वामी राजाऊल रहमान आ0 अल्लाउद्दीन हुसैन जाति – मुसलमान निवासी ग्राम – बिशुनपुर तहसील – बतौली जिला – सरगुजा (छ0ग0) को सुपुर्द करने का आदेश इस न्यायालय द्वारा पारित किया गया है। उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही कर प्रतिवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
सीतापुर, सरगुजा (छ0ग0)

CamScanner